जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/38 E-Newsletter, Issued in Public Interest रविवार, 28 फरवरी 2021

नगर निगम,ग्रेटर के मानसरोवर ज़ोन में आवासीय भूखंडों को मिलाकर बना दिया अवैध कोम्प्लेक्स,

प्लाट संख्या 111/201,111/202 विजयपथ,मानसरोवर का है मामला

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

दिनांक 27/12/2020 को निगम के संज्ञान में लाया गया था मामला|

भूखंड संख्या 111/201 और 111/202 को बिना पुनर्गठन करवाए,बिना नक़्शे पास करवाए,बिना सक्षम अनुमति के और बिना भवन विनियमों की पालना के बनाये गए व्यवसायिक काम्प्लेक्स का मामला मानसरोवर ज़ोन के संज्ञान में लाया गया था|

दिनांक 23/02/2021 को ज़ोन की तरफ से जवाब आया दुकानों को सील कर दिया गया है

हमारे इस परिवाद के सम्बन्ध में दिनांक 23/02/2021 को ज़ोन द्वारा जवाब दिया गया कि निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर सेटबैक क्षेत्र में दुकानों का निर्माण करने पर दुकानों को सीज कर दिया गया है|

	Mansarowar Zone				
3	Municipal Corporation Greater Jaipur, Deputy Commissioner, (Admin I), O/o Deputy Commissioner-Mansarowar Zone	,,,	Remarks	23-Feb-2021	निर्माण कर्ता द्वारा मौके पर सेट बेक क्षेत्र में दुकानों का निर्माण करने पर इस कार्यलय द्वारा दुकानों को सीज कर दिया गया है
4	Municipal Corporation Greater Jaipur, Deputy Commissioner, (Admin I), O/o Deputy Commissioner-Mansarowar Zone	,,,	Partially Closed :Relief	23-Feb-2021	निर्माण कर्ता द्वारा मौके पर सेट बेक क्षेत्र में दुकानों का निर्माण करने पर इस कार्यलय द्वारा दुकानों को सीज कर दिया गया है

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या वाकई ज़ोन द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध दुकानों को सील कर दिया गया है?
2. एक अदना सा चालान काटने के लिए भी पूरे शहर में ढोल पीटने वाले नगर निगम ने इस बड़ी खबर को अख़बारों में क्यों नहीं दी?
3. यदि वाकई सील किया गया है तो निगम के अधिकारी सीजर मेमो क्यों नही उपलब्ध करवा रहे?
4. क्या ज़ोन के अधिकारी केवल मामले को ढाकने/परिवाद को बंद करने के लिए तो गलत रिपोर्ट नहीं दे रहे?
5. यदि ज़ोन के कर्मचारी झूठी रिपोर्ट देकर अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे है तो क्या जिम्मेदार अधिकारीयों/कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 (10) (छ) के तहत कार्यवाही की जाएगी?

*__केन्द्रीय सरकार की मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मिडिया आचार संहिता के तहत जारी :-__ www.jawabdosarkar.com शासन के विभिन्न अभिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित ऑनलाइन मिडिया प्लेटफार्म है| अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु पोर्टल द्वारा समय समय पर अपने अभियानों के माध्यम से विभिन्न विषयों / मुद्दों/ समस्याओं के सम्बन्ध में तथ्यपरक रिपोर्ट्स का प्रकाशन किया जाता है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को उससे सम्बंधित सभी पक्षों / प्रभावितों और व्यापक जन हित में अधिकतम व्यक्तियों तक पहुचाना पोर्टल की पारदर्शिता निति का हिस्सा मात्र है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स का किसी व्यक्ति/ संस्था/ जाति/धर्म / संप्रदाय विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में अपना पक्ष/ सुझाव/ आपत्तिमय सम्बंधित तथ्यों/ दस्तावेजों के पोर्टल के आधिकारिक पते:-S-1, **सेकंड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेंट, जनरल सगत सिंह मोड़ खातीपुरा रोड, जयपुर** अथवा ईमेल :-jawabdosarkar01@gmail.com अथवा व्हाट्सअप न. 9828346151 पर प्रेषित कर सकते है| आपके पक्ष/ सुझाव/ आपत्ति को उचित होने पर इस रिपोर्ट के अगले अंक में प्रकाशित कर दिया जायेगा|*